

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 9049

दिनांक:- 03-11-2025

आदेश संख्या:- 429/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को कॉलम संख्या 05 में अंकित सम्बन्धित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) में दिनांक 03.11.2025 से 05.12.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 03.11.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-
सारणी-1

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	763523	SHIMBHU DAYAL GURJAR	REGISTRAR - 1000494 , KOTA OPEN UNIVERSITY (EX CADRE POSTS) , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
2.	745546	SACHIN KUMAR MEENA	SUPDT. JK LON HOSPITAL - 20092 , MEDICAL EDUCATION , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
3.	762404	PRAMOD KUMAR DEWATWAL	DY. DIRECTOR - 843 , LOCAL BODIES , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
4.	783095	ASHISH YADAV	JUDGE MACT II - 28410 , LAW DEPARTMENT , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
5.	785264	VISHNU VALEJA	C.E.O. DISTRICT H.Q. - 3000167 , MGNREGP , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
6.	786792	RAHUL MEHTA	JUDGE FAMILY COURT III - 33219 , LAW DEPARTMENT , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
7.	785094	VISHNU GOCHAR	RTO - 1084 , TRANSPORT DEPARTMENT , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
8.	783084	AFSANA BANO	JOINT DIRECTOR - 909 , PENSION AND PENSIONERS WELFARE , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
9.	787136	DEVESH MEENA	SP (CITY) - 5824 , HOME DEPARTMENT , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
10.	787301	ANJALI	TREASURY OFFICER - 1118 , TREASURIES AND ACCOUNTS , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
11.	742321	KRISHAN KUMAR GURJAR	INCHARGE P.V. PARTY - 7000076 , INSPECTION , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA
12.	766933	HANSRAJ MEENA	DIVISIONAL CONSUMER PROTECTION OFFICER & DY MANAGER (MKTG) - 32291 , FOOD AND CIVIL SUPPLIES , KOTA , KOTA	HCM RIPA KOTA


उक्त प्रशिक्षण की अवधि पाँच सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान(लेक्चरर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। उक्त समस्त कार्मिकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना में कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण में उपस्थिति देना अनिवार्य है, जिसमें इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का शिथिलन सम्भव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।


(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 08-11-2028

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III/9049
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

9. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (कनि. लेखाकार प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
12. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
13. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
14. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
15. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
16. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)